डाक -व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति - पत्र
क्र. रायपुर - सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33 अ] रायपुर, शुक्रवार दिनांक 8 फरवरी 2002, माघ 19, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-15/2002/ वा.क/ पांच (14)—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विर्निदिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विर्निदिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विर्निदिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन शासकीय राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31-3-2003 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती हैं :-

अनुसूची

अ.क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते छूट प्रदान की गयी है (4)
1	एल्यूमीनियम चद्दरें और एक्सट्रूडेड सेक्सन.	अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन कर की दर घटकर 4.5 प्रतिशत हो जाय.	जब भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा द्वारा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण या स्वामित्व वाले सड़क परिवहन कंपनी, निगम या उपक्रम को इस शर्त पर बेचा जावे कि उपरोक्त कंपनी, उपरोक्त क्रय करने वाली कंपनी , निगम या उपक्रम के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवम् पूर्ण रूप से भरा गया संलग्न प्रारूप कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें .

प्रारूप

घोषणा

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक ....)

(सड़क परिवहन कंपनी/निगम या उपक्रम का नाम) ....

(पता)... का मैं (नाम व पद) ....

यह घोषणा करता हूं कि निम्नलिखित एल्यूमीनियम चद्दरें और एक्स्ट्रूडेड सेक्सन मेरे द्वारा भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड , कोरबा पंजीयन क्रमांक .... से क्रय किया गया है और क्रय किया गया माल उपरोक्त कंपनी/निगम या उपक्रम के कार्यालयीन उपयोग के लिये है .

घोषणा के अंतर्गत क्रय माल का विवरण

क्रय आदेश/बिल/बीजक/ कैश मेमो/चालान का विवरण		क्रय किये गये माल का विवरण	मात्रा	कीमत रुपये
क्रमांक	दिनांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कुल कीमत (अंकों में) रुपये ....(शब्दों में) रुपये .... केवल .

स्थान ....

दिनांक...

हस्ताक्षर ....

पद ....

टीप :- प्राधिकृत अधिकारी से आशय एक ऐसे अधिकारी से है जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण या स्वामितत्व वाले सड़क परिवहन कंपनी/निगम/उपक्रम के लिये क्रय के लिए प्राधिकृत हो।

* जो लागू न हो उसे काट देवें .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर दिनांक 8 फरवरी 2002

क्रमांक एफ-10-15/2002/वा. क/पांच (14).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-15/2002/वा.क. /पांच (14), दिनांक 8-2-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।

Raipur the 8th February 2002

NOTIFICATION

No. F - 10-15/2002/CT/V(14).—Whereas , the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers confered by sub -section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act, to the extent specified in column (3) for the period from the date of publication of this Notification in the Official Gazette to 31st March, 2003 subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule :-

SCHEDULE

S.No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted. (4)
1.	Aluminium sheets and extruded Section.	Partly so as to reduce the rate of tax under sub -section (2) of Section 8 to 4.5%.	When sold by Bharat Aluminium company Ltd., Korba to a Road Transport Company, Corporation or undertaking owned or controlled by Central Government or a State Government subject to condition that the said company produces before the assessing authority a declaration in the appended forrm duly filled and signed by an authorised officer of the said purchasing Company, Corporation or undertaking.

FORM

Declaration

(Under CTD Notification No .... Dated ....)

I, (Name and designatioin) ....of (name of the Road Transport Company/Corporation or undertaking)... (Address) ....hereby declare that the aluminium sheets, extruded section particulars of which are given below, have been purchased on behalf of the said Company/Corporation/undertaking from M/s. Bharat Aluminium Company Limited,Korba registration certificate No. .... and that these goods have been purchased for official use of the said Company/Corporation /Undertaking.

Particulars of goods purchased against declaration

Particulars of purchase Order /bill/invoice/cash memo/ Challan		Description of goods purchased.	Quantity	Value
No.	Date			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Total	

Total value (in figures)Rs .... (in words) Rs..only

Place ....

Date ....

Signature...

Designation...

Note : - Authorised officer means an officer authorised to make purchases on behalf of the Road Transport Company/Corporation/Undertaking owned or controlled by the Central Government or a State Government.

* Strike out whicheverr is not appllicable.

Br order and in the name of the Govemor the Chhattisgarh,
K.R. Mishra, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.